



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12072024-255375
CG-DL-E-12072024-255375

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 359]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 12, 2024/आषाढ 21, 1946

No. 359]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 12, 2024/ASHADHA 21, 1946

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2024

सं. 14/2024- सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 387(अ).— जब कि सिंगापुर (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलिऑल ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 3000-4000", (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तुओं से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के उप-शीर्ष 3907 20 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 7/12/2019-डीजीटीआर, दिनांक 17 मार्च, 2020, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों, में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि—

- (i) विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं की लगातार डंपिंग हो रही है तथा शुल्क की समाप्ति की स्थिति में आयातित वस्तुओं के भारतीय बाजार में कम कीमतों पर प्रवेश करने की संभावना है;
- (ii) विषयगत फालतू आयात के कारण घरेलू उद्योग को लगातार क्षति हुई है;

- (iii) रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि यदि इस स्तर पर लागू प्रतिपाटन शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो पाटन और क्षति जारी रहने की संभावना है;
- (iv) यह दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं कि इस स्तर पर प्रतिपाटन शुल्क को समाप्त करने से डंपिंग जारी रहेगी और घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचेगी;

और उन्होंने घरेलू उद्योग को होने वाली इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत वस्तुओं जो कि विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित हैं, के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है;

और जब कि, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उक्त अन्तिम निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 14/2020 – सीमाशुल्क (एडीडी), जिसे दिनांक 9 जून, 2020 के सा.का.नि. संख्या 364(अ), दिनांक 9 जून, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के माध्यम से विषयगत माल पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जबकि, शैल सिंगापुर पीटीई लि. ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खंड 1 में अधिसूचना संख्या 7/12/2019-डीजीटीआर, दिनांक 17 मार्च, 2020 के तहत प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में उत्पादक का नाम "शैल ईस्टर्न पेट्रोलियम (पीटीई) लि." से बदलकर "शैल सिंगापुर पीटीई लि." करने के लिए विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध किया था;

और जबकि, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खंड 1, दिनांक 14 फरवरी, 2024 में प्रकाशित संशोधन अधिसूचना सं. 7/24/2023-डीजीटीआर, जिसे दिनांक 14 फरवरी, 2024 के तहत इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अनुरोध केवल नाम परिवर्तन की श्रेणी में आता है और स्वामित्व में इस तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे व्यवसाय की मूल प्रकृति बदल जाए और सिफारिश की है कि उत्पादक का नाम अर्थात् "शैल ईस्टर्न पेट्रोलियम (पीटीई) लिमिटेड" को अपने अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना संख्या 7/12/2019-डीजीटीआर, दिनांक 17 मार्च, 2020 में संशोधित कर "शैल सिंगापुर पीटीई लि." कर दिया जाए।

अतः, अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप-धाराओं (1) और (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों में उपर्युक्त संशोधनों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 14/2020 – सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 09 जून, 2020 जिसे सा. का. नि. सं. 364 (अ), दिनांक 09 जून, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 1 के सामने, कॉलम 6 में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "शैल सिंगापुर पीटीई लि." प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/52/2024-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 14/2020-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 9 जून, 2020 को सा. का. नि. सं. 364 (अ) दिनांक 9 जून, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 78/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 29 दिसंबर, 2021 जिसे सा. का. नि. सं. 909(अ), दिनांक 29 दिसंबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th July, 2024

No. 14/2024-Customs (ADD)

G.S.R 387(E).— Whereas, in the matter of ‘Flexible Slabstock Polyol of molecular weight 3000-4000’ (hereinafter referred to as the subject goods), originating in, or exported from Singapore (hereinafter referred to as the subject country) falling under sub-heading 3907 20 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), and imported into India, the Designated Authority in its final findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, *vide* notification No.7/12/2019-DGTR, dated the 17th March, 2020 had come to the conclusion that –

- (i) there is continued dumping of the subject goods from subject country and the imports are likely to enter the Indian market at dumped prices in the event of expiry of duty;
- (ii) the domestic industry has suffered continued injury on account of dumped imports from the subject country;
- (iii) the information on record shows likelihood of continuation of dumping and injury in case the antidumping duty in force is allowed to cease at this stage;
- (iv) there is sufficient evidence to indicate that the revocation of the anti-dumping duty at this stage will lead to continuation of dumping and injury to the Domestic Industry,

and had recommended continued imposition of definitive anti-dumping duty imports the subject goods, originating in, or exported from the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry;

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the Designated Authority, the Central Government had imposed the anti-dumping duty on the subject goods, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 14/2020-Customs (ADD), dated the 9th June, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 364(E), dated the 9th June, 2020;

And whereas, Shell Singapore Pte. Ltd. requested the Designated Authority for changing the name of producer from “Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd” to “Shell Singapore Pte. Ltd.” in its final findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, *vide* notification No. 7/12/2019-DGTR, dated the 17th March, 2020;

And whereas, the Designated Authority, *vide* amendment notification No. 7/24/2023-DGTR, dated the 14th February, 2024 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 14th February, 2024, has come to the conclusion that the request falls within the category of name change only and there is no change in the ownership in a manner that alters the basic nature of the business and recommended that the name of the producer, namely “Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd”, be amended to “Shell Singapore Pte. Ltd.” in its final findings notification No. 7/12/2019-DGTR, dated the 17th March, 2020.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid amendments to final findings of the Designated Authority, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 14/2020-Customs (ADD), dated the 9th June, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 364(E), dated the 9th June, 2020, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 1, for the entry in column 6, the entry “Shell Singapore Pte. Ltd.” shall be substituted.

[F. No. CBIC-190354/52/2024-TRU Section-CBEC]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

Note: The principal notification No. 14/2020-Customs (ADD), dated the 9th June, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 364(E), dated the 9th June, 2020 and last amended, *vide* notification No. 78/2021-Customs (ADD), dated the 29th December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 909(E), dated the 29th December, 2021.